राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2023–2024

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1–2
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2–3
3.	वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां	4–5
4.	अभाव स्थिति	6
5.	मानसून की स्थिति	7–8
6.	ओलावृष्टि एवं कोविड–19 की स्थिति	8
7.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	9
8.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	9
9.	राज्य /राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	9–10

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	11
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	12
3.	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति	13–14
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	15
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	16
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	17
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति	18–19
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	20
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	21
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	22
11.	अभाव की स्थिति (खरीफ फसल सम्वत 2080)	23–24

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2019–20 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 275.15 लाख हैक्टेयर भूमि में से 117.88 लाख हैक्टेयर ही सकल सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 85.67 लाख हेक्टेयर (97.12 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी

फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में 01 अगस्त, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट–1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 तथा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट–3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2023–24 (दिसम्बर, 2023 तक) की उपलब्धियाँः–

- आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग करने हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System-112) के विस्तार हेतु राज्य में 112 टोल फ्री नम्बर पर आपदा से संबंधित कॉल हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित किया गया।
- राज्य के समस्त जिलो में आकाशीय बिजली से घटित घटनाओं के रोकथाम के लिए 2130 संवेदनशील स्थानो को चिन्हित किया जाकर 79 मीटर पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस/लाईटिंग ऐरिस्टर लगाया जाना प्रक्रियाधीन है।
- राज्य मे नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अग्निशमन दक्षता बढ़ाने हेतु 500 स्वयंसेवकों को 28 दिवसीय ओक्जलरी फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर रू. 115.00 लाख व्यय किया गया।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा आपदाओं से निपटने हेतु आपदा मित्र योजना के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों यथा अजमेर, अलवर, बीकानेर, बाडमेर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, पाली एवं सिरोही के कुल 4700 स्वंयसेवको प्रशिक्षित किया गया है, जिनका सहयोग आपदा की स्थिति से निपटने हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जा सकेगा।
- सूखे के आंकलन को और अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधारित करने हेतु ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए मोबाइल ऐप NIC जयपुर के माध्यम से तैयार करवाया गया है। ग्राउंड ट्रूथिंग करने हेतु मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया।

- कोविड–19 से मृतको के विधिक आश्रितों को प्रति मृतक राशि रू. 50,000/– अनुसार आनुग्राहिक सहायता के भुगतान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वित्तीय वर्ष 2022–23 में 42.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

- आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग करने हेतु सचिवालय परिसर में राज्य स्तर पर राज्य आपदा परिचालन केन्द्र की स्थापना की गई है।

- विभाग द्वारा कृषि आदान–अनुदान एवं अन्य समस्त राहत सहायता राशि का वितरण DBT के जरिये लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है।
- विभाग द्वारा प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु कुल 34 ड्रोन क्रय किये गये, जिनमे से 01–01 ड्रोन प्रत्येक जिला कलक्टर को तथा 01 ड्रोन विभागीय मुख्यालय पर उपलब्ध करवाये गये है।

- नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान जयपुर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु ग्राम–दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर मे 10.39 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया।

अभाव स्थिति

1. रबी फसल सम्वत् 2079 (वर्ष 2022–23) में पाला–शीतलहर से प्रभावित 09 जिलों यथा अलवर, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, झुन्झुनू, नागौर, सीकर, के 5225 गाँवो को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त जिलो में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान हेतु दिशा निर्देश जारी कर राशि 397.34 करोड़ रूपये आंवटित किया गया है।
2. मानसून वर्ष 2023 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरीय विकास विभाग शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु 3101 कार्यो के लिए 52.11 करोड़ रुपये की स्वीकृतियॉ जारी की गई।
3. फसल खरीफ सूखा सम्वत् 2080 (वर्ष 2023)में 13 जिलों यथा अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डूगंरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर(ग्रामीण), फलौदी, नागौर के 48 तहसीलों को सूखा अभावग्रस्त घोषित कर दिनांक 21.11.2023 को अधिसूचना जारी की गई।
4. बिपरजॉय चक्रवात से राज्य के 5 जिले यथा जालौर, सिरोही, पाली, बाडमेर एवं राजसमंद प्रभावित हुए है, प्रभावितो को तत्काल सहायता हेतु राशि 17.50 करोड रू. आंवटित किया गया है।

मानसून 2023

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 30.06.2023 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक 546.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 0.7 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून अवधि के दौरान 1 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	बाड़मेर, जालौर	02
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही	08
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	अलवर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर एवं सीकर, टोंक एवं उदयपुर	18
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	बारां, बून्दी, डूंगरपुर, झालावाड, कोटा	05
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)		0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2023 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 3736.14 Mcum की तुलना में 2105.39 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 56.35 प्रतिशत है।

राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 823.63 Mcum की तुलना में 362.61 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 44.03 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल पूर्ण भराव क्षमता 12664.43 Mcum की तुलना में वर्तमान भराव क्षमता 9649.03 Mcum पानी प्राप्त हुआ जो कि कुल क्षमता का 76.19 प्रतिशत है।

अनुग्रह सहायताः–

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदओं से मानव/पशु क्षति, आवासीय क्षति व मानव/पशु घायल होने पर सहायता राशि एवं फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2023 को जारी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

ओलावृष्टि

रबी फसल सम्वत् 2079 (वर्ष 2022–23) में ओलावृष्टि से प्रभावित 15 जिलो यथा अजमेर, अलवर, बांरा, बाडमेर, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, कोटा, नागौर, एवं उदयपुर के 2588 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। उक्त जिलो में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान हेतु दिशा निर्देश जारी कर राशि 76.52 करोड़ रूपये आंवटित किये गये है।

बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. बाढ़ से मानव/पशु क्षति, आवासीय क्षति व मानव/पशु घायल होने पर सहायता राशि तथा सरकारी परिसम्पत्तियों की क्षति की मरम्मत हेतु राशि एवं फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान राशि एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है।
2. मानसून वर्ष 2023 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 31 व्यक्तियों, आकाशीय बिजली के कारण 23 एवं मकान/दीवार गिरने के कारण 16 व्यक्तियों कुल 70 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको राज्य आपदा मोचन निधि नोर्म्स अनुसार (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) सहायता प्रदान की गई है।

3. मानसून वर्ष 2023 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरीय विकास विभाग शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु 3101 कार्यो के लिए 52.11 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलेक्टर को स्थायी निर्देश है कि अग्नि दुर्घटना में होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीडितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी जावें। अग्नि पीडितों को सहायता हेतु जिला कलक्टर्स को वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5.54 करोड़ रूपयें (दिसम्बर, 2023 तक) का बजट आवंटन किया गया है।

अग्नि पीडितो को सहायता राशि वर्ष 2021–22 में 795.34 लाख रूपये, वर्ष 2022–23 में 651.02 लाख रूपये एवं वर्ष 2023–24 (दिसम्बर, 2023 तक) 222.63 लाख रू. व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)/राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) बजट प्रावधान :–

राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2023–24 (दिसम्बर, 2023) की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
2018-19	957.75	319.25	1277.00
2019-20	1005.00	335.00	1340.00
2020-21	1481.00	494.00	1975.00
2021-22	1184.80	395.20	1580.00
2022-23	1244.80	414.40	1659.20
2023-24 (दिसम्बर 23 तक)	653.60	217.60	871.20
योग	**11173.47**	**3724.27**	**14897.74**

वर्ष 2017–18 से 2023–2024 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट –7 पर एवं वर्ष 2018–19 से 2023–24 (31 दिसम्बर 2023 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–8 व परिशिष्ट–9 पर उपलब्ध है।

Administrative Setup

परिशिष्ट–1

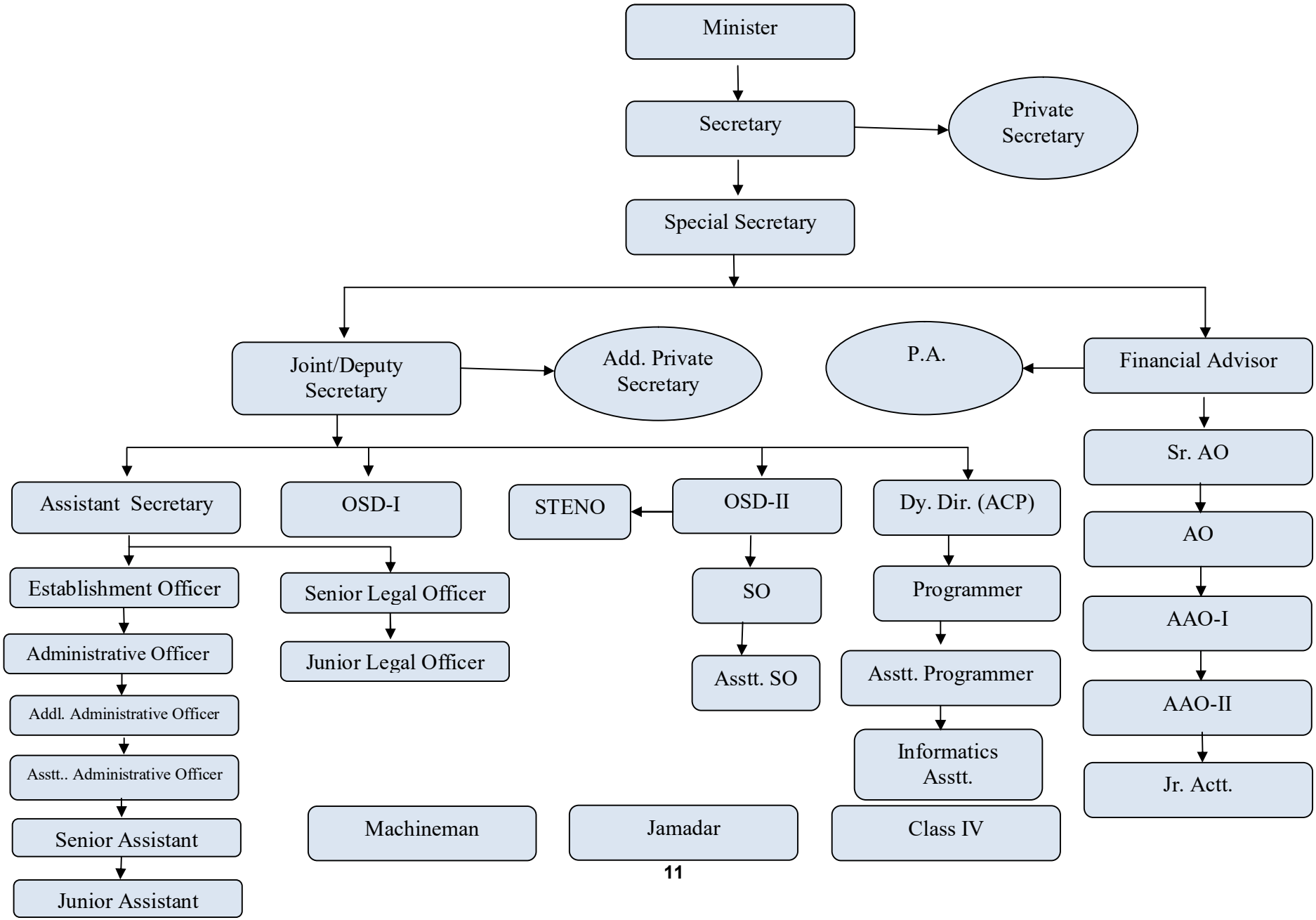

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	शासन सचिव	श्री पी.सी. किशन	28.10.2022
2	विशिष्ठ शासन सचिव	रिक्त	
3	शासन उप सचिव	जगत राजेश्वर(अति.चार्ज)	01.08.2023
4	वित्तीय सलाहकार	श्री सुरेश चन्द्र	08.08.2023
5	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	रिक्त	
6	विशेषाधिकारी (2)	रिक्त	
		श्री बीरबल मीणा	16.11.2022
7	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	रिक्त	
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्रीमती ज्योति नागर	20.10.2022
9	लेखाधिकारी	रिक्त	
10	संस्थापन अधिकारी	श्री घनश्याम मीना	30.11.2023
11	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
12	सांख्यिकी अधिकारी	श्री मक्खन लाल खटीक	30.08.2022
13	सहायक विधि परामर्शी	श्रीमती शालिनी पाण्डेय	25.07.2022
14	अतिरिक्त निजी सचिव	रिक्त	–
15	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	रिक्त	–
		श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
16	प्रशासनिक अधिकारी	श्रीमती मंजू पांचाल	01.04.2023

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	शासन सचिव	01	01	–
2	विशिष्ठ शासन सचिव	01	–	01
3	शासन उप सचिव	01	–	01
4	वित्तीय सलाहकार	01	01	–
5	सहायक शासन सचिव	01	–	01
6	निजी सचिव	01	01	–
7	विशेषाधिकारी	02	01	01
8	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	–	01
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	–
10	लेखाधिकारी	01	–	01
11	संस्थापन अधिकारी	01	01	–
12	प्रोग्रामर	01	01	–
13	सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
14	सहायक विधि परामर्शी	01	01	–
15	अति.निजी सचिव	01	–	01
16	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	02	01	01
17	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
18	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	05	01	04
19	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
20	सहायक प्रोग्रामर	01	01	–
21	अति.प्रशासनिक अधिकारी	04	03	01
22	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06	03	03
23	कनिष्ठ लेखाकार	04	03	01
24	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	–	01
25	सूचना सहायक	02	01	01
26	निजी सहायक	01	–	01

27	शीघ्र लिपिक	02	—	02
28	वरिष्ठ सहायक	07	07	—
29	कनिष्ठ सहायक	07	06	01
30	मशीनमैन	01	01	—
31	जमादार	03	03	—
32	सहायक कर्मचारी	09	05	04
	कुल	**73**	**46**	**27**

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग बजट मद से जिला मुख्यालय पर स्वीकृत पदों का विवरणः—

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	27	22	05
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	—
3	वरिष्ठ सहायक	07	07	—
4	कनिष्ठ सहायक	22	18	04
	कुल	61	52	09

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)
राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
2.	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3.	प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
4.	प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5.	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
6.	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7.	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
8.	प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार
9.	प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

1.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन (सहायता अनुभाग का भारसाधक)	

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट–7 (A)

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	**SDRF/ NDRF**	**SDRF/ NDRF**	**SDRF/ NDRF**	**SDRF/ NDRF**	**SDRF/ NDRF**	**SDRF/ NDRF**	**SDRF/ NDRF**
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (Upto 31-12-2023)**
1	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
(A) SDRF							
Opening Balance	326.05	83.27	670.76	2096.22	2584.44	2468.82	3181.21
Central Share in SDRF	912.00	861.98	1100.77	1481.00	1184.80	1244.80	653.60
State Share in SDRF	304.00	319.25	335.00	494.00	395.20	414.40	217.60
Received from Interest	50.08	58.69	42.12	143.67	181.07	153.20	22.52
Received from GOI	301.65	832.26	1164.99	853.25	-	13.46	-
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	31.50	-	-	-	-	-
Total Funds Available (A)	**1893.78**	**2186.95**	**3313.64**	**5068.14**	**4345.51**	**4294.68**	**4074.93**
Expenditure (B)	**1810.51**	**1516.19**	**1217.42**	**2109.81**	**1887.38**	**1113.47**	**753.84**
Adjustment of Disbursement Amount	**-**	**-**	**-**	**21.11**	**10.69**	**-**	**-**
Total Funds available Under SDRF& NDRF (Closing Balance)	**83.27**	**670.76**	**2096.22**	**2979.44**	**2468.82**	**3181.21**	**3321.09**

***Allotment**

POSITION OF SDRF/NDRF

(B) SDMF	SDMF/ NDMF	SDMF/ NDMF	SDMF/ NDMF	SDMF/ NDMF	SDMF/ NDMF	SDMF/ NDMF	SDMF/ NDMF
Opening Balance/T.E	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**395.00**	**816.99**
Central Share	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**296.20**	**311.20**
State Share	**-**	**-**	**-**			**98.80**	**103.60**
Received From Interest	**-**	-	**-**	-	**-**	**26.99**	**-**
Received From NDMF	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	**-**
Total Funds Available Under SDMF	**-**	-	**-**	-	**-**	**816.99**	**1231.79**
Expenditure	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	**-**
Closing Balance	**-**	-	**-**	-	**-**	**816.99**	**1231.79**

Note- SDMF Start Year 2022-23

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2018–2019	वर्ष 2019–2020	वर्ष 2020–2021	वर्ष 2021–2022	वर्ष 2022–2023	वर्ष 2023–2024 (दिनांक 31-12-2023 तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6	7	
1	अनुग्रह सहायता	-	-	-	-	-	-
2	पीने के पानी की आपूर्ति	726.32	742.47	937.08	416.47	4113.24	2063.48
3	चारा परिवहन	-	468.61	482.01	-	196.92	65.09
4	पशु पोषण केन्द्र	-	45.11	-	-	-	-
5	पशु शिविर/गौशाला	2439.37	3545.75	719.21	977.34	5387.74	-1.91
6	आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण	-	-		-	-	-
7	दवाओं की पूर्ति	-	-		-	-	-
8	अन्य विशेष राहत कार्य	-	-		-	-	-
9	अग्नि सहायता	369.25	567.00	314.53	795.34	651.02	222.63
10	सर्च एवं रेस्क्यू व सयंत्र	37.74	1452.05	16575.87	1902.89	58.14	-
11	कीट पतंगा	-	-	15.29	-	-	-
11	कृषि आदान अनुदान	150885.87	30794.68	18652.38	73054.04	43914.22	424.04
12	आपात परिचालन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन योजना	-	-	72.21	458.38	467.36	360.67
13	प्रशिक्षण	-	24.69	157.31	283.33	196.93	25.36
14	अन्य सहायता	18.24	963.70	279.49	-8.35	-6.07	-2
	योग	**154476.79**	**38604.06**	**38205.38**	**77879.44**	**54979.50**	**3157.36**

नोटः– उपरोक्त गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में जो राशि (–)ऋणात्मक दर्शाई गई है । उक्त राशि जिला कार्यालयों से पूर्व वर्षो की राशि जमा हुई है।

परिशिष्ट–9

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 मे अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष					
		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24 दिनांक 31-12-2023 तक आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आनुग्रहिक राहत कपड़ा बर्तन	6.64	177.50	1.92	7469.23	5253.26	-7.38
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	-	4.78	-	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	-	3310.98	11416.20	5784.81	15523.59	3038.10
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-	-	
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	488.01	319.69	341.95	334.43	158.28	106.89
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	12.80	1.33	73.12	-
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	-	-	-	-	-	146.69
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	279.00	550.77	160	172.06	176.29	156.04
11.	घरों की मरम्मत	124.54	3397.53	245.02	2372.14	3254.03	427.47
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	2212.01	3045.85	14719.82	4605.29	2397.68	202.90
13	बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	-7272.24	53261.41	29481.58	23935.97	29223.10	37006.06
14	डिसिल्टिग	-	-	-	-	-	-
15.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	26.56	(-) 3.19	22.62	32.26	26.74	82.83
16.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	1179.32	129.49	739.19	785.18	1648.03	-
17.	अन्य सहायता (हेलिकाप्टर)	98.25	-	-	-	-	-
18.	अन्य सहायता अंगभंग गम्भीर चोट एवं आवश्यक वस्तुए	-	-	5.54	-	-	-
19	शीतलहर से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	-	350.64	728.69	-	-	32295.99
20	कीट पंतगा आक्रमण से प्रभावितो को कृषि आदान अनुदान	-	12146.85	2259.75	90.03	-	-
21	महामारी (कोविड–19)	-	6510.67	112640.65	65271.72	-10.27	-1228.53
	योग	**(-)2857.91**	**83138.19**	**172775.73**	**110859.23**	**57723.85**	**72227.06**

नोटः– उपरोक्त गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में जो राशि (–)ऋणात्मक दर्शाई गई है । उक्त राशि जिला कार्यालयों से पूर्व वर्षो की राशि जमा हुई है।

List of Nodal Departments

S.No.	Name of Nodal Department	Related Disaster
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding, Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack
13.	Animal Husbandry	Epidemic in Animal Population

परिशिष्ट–11(अ)

फसल खरीफ सम्वत् 2080 (वर्ष 2023) में सूखे से फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	गांवों की संख्या		कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार (लाखों में)			प्रभावित जन संख्या (लाखों में)			कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (है0में) 33 से 100 प्रतिशत	खराबा का प्रतिशत तहसीलवार
		जिले के कुल गावो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गावो की संख्या 33 से 100 प्रतिशत	शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ajmer	1174	2	1.55	0.87	2.42	0.00	0.02	0.02	1844	888	665	0
2	Beawar	773	172	1.45	1.53	2.98	0.15	1.51	1.66	19629	11961.435	5785.689	0
3	Nagaur	1656	213	0.2	3.3	3.5	0.20	3.30	3.50	200339	173314	169679	0
4	Dungarpur	1028	146	0.29	1.77	2.06	0.29	1.77	2.06	27100	13430	9083	0
5	Bikaner	974	317	0.63	8.34	8.97	0.62	8.32	8.94	789206	602530	565200	0
6	Barmer	1991	1823	0.96	13.13	14.09	0.16	11.11	11.27	1132672	911703	532313	0
7	Balotra	1041	1000	0.98	9.43	10.41	0.74	8.65	9.39	816146	550645	383082	0
8	Jaisalmer	887	423	0.25	5.11	5.36	0.25	4.29	4.54	2851451	626126	273429	0
9	Churu	920	73	5.76	14.63	20.39	0.36	1.50	1.86	1288299	1085195	88033	0
10	Jodhpur	757	115	0	1.61	1.61	0.00	1.57	1.57	110720	63269	61752	0
11	Jodhpur(Rural)	1290	654	0.59	12	12.59	0.59	12.00	12.59	724482	520027	379059	0
12	Phalodi	775	102	0.53	3.58	4.11	0.00	0.98	0.98	384263	274437	75332	0
13	Dudu	245	148	0.00	2.11	2.11	0.00	2.11	2.11	108703	93895	59584	0
		6993	**5188**	**13.19**	**77.41**	**90.6**	**3.36**	**57.13**	**60.49**	**8454854**	**4927420**	**2602997**	**0**

परिशिष्ट– 11(ब)

फसल खरीफ सम्वत् 2080 (वर्ष 2023) में सूखे से फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	प्रभावित ग्रामों की संख्या				योग 15+16+17+18	उत्पादन मैट्रिक टन	खराब हुई फसलों की कीमत (लाखों में)	खराबे वाले गांवों का भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या वर्ष 2012 के अनुसार लाखों में	प्रभावित पशु संख्या लाखों में	प्रभावित काश्तकारो की संख्या 33 प्रतिशत व अधिक खराबा
		33 प्रतिशत व अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत व अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम खराबा								
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Ajmer	0	2	0	60	62	190	280	0	0	348.00	302.00	305
2	Beawar	102	70	0	11	183	10959	1680.67	0	0	0.42	0.22	53593
3	Nagaur	131	82	0	1	214	52469	29157	0	0	3.43	3.43	119523
4	Dungarpur	6	132	8	1	147	4347	772.05	0	0	1.50	1.50	56356
5	Bikaner	237	80	0	0	317	502173	119411	0	0	21.96	9.96	158634
6	Barmer	99	1336	388	0	1823	286310	155592	0	0	27.48	22.65	256088
7	Balotra	10	511	479	41	477492.13	85889.95	196826	0	0	16.77	15.60	218592
8	Jaisalmer	33	198	192	275	698	106163.97	23918.1	0	0	9.10	6.14	125394
9	Churu	29	44	0	123	196	838251	32310	0	0	17.83	0.00	70693
10	Jodhpur	2	81	32	3	118	284172	0	0	0	1.52	1.51	42690
11	Jodhpur (Rural)	200	168	286	3	657	282415.4	123601.6	0	0	0.72	0.47	414686
12	Phalodi	16	86	0	210	312	208974.5	9038	0	0	4.55	1.05	45721
13	Dudu	19	127	2	8	156	27493.4	35733.6	0	0	1.76	1.76	47751
		884	**2917**	**1387**	**736**	**482375.1**	**2689808**	**728320**	**0**	**0**	**455.04**	**366.29**	**1610026**